

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/टी0-01-07/2017-

/स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

डा0 सुरेश प्रसाद सिन्हा, सिविल सर्जन, अररिया को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत अधीक्षक, सदर अस्पताल, अररिया के पद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. अधीक्षक, सदर अस्पताल, अररिया के पद पर नियमित पदस्थापन के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

842(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

22/7/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, अररिया/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/ डा0 सुरेश प्रसाद सिन्हा, सिविल सर्जन, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 7,8, 9, 10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव